न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2872–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–07–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 36/अपील/2013–14 ।

.....

1–मुकेश मालवीय आ0गुलाबचंद्र मालवीय

2–दिनेश कुमार मालवीय आ0गुलाबचंद्र मालवीय

3–श्रीमती दमयती बाई पत्नि स्व0गुलाबचंद्र मालवीय

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–वीरून मालवीय आ0स्व0नरेन्द्र मालवीय

2–अमन मालवीय आ0 स्व0नरेन्द्र मालवीय

3–अलका मालवीय जोजे स्व0नरेन्द्र मालवीय

तीनों निवासी बाबई हालमुकाम इलाहाबाद

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री एच0एस0पटेल, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा संशोधन पंजी कमांक 55 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1997 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 3–5–2014 को लगभग 17 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूँकि अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी इसलिये विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 36/अपील/2013–14 दर्ज की जाकर दिनांक 31–7–15 को अंतरिम आदेश पारित करते हुये अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 29–6–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदकगण के अभिभाषक 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः प्रकरण का निराकरण अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार किया जा रहा है। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण के पूर्वज नरेन्द्र मालवीय को आदेश दिनांक 30–6–1997 की जानकारी प्रारंभ से रही है क्योंकि आवेदकगण एवं नरेन्द्र मालवीय के मध्य दिनांक 11–1–1985 को बटवारा हुआ था जिसमें समस्त संपत्तियों का उल्लेख है ।

(2) दिनांक 5–3–2002 को पारिवारिक व्यवस्था पत्र निष्पादित हुआ है जिसमें नरेन्द्र मालवीय के हस्ताक्षर है ।

(3) आवेदकगण को बटवारे में जो संपत्ति प्राप्त हुई थी उसके आधार पर व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक जिला होशंगाबाद के न्यायालय में दावा घोषणा करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिये प्रस्तुत किया गया था । उक्त प्रकरण में नरेन्द्र मालवीय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 11–1–1985 को बटवारा होना स्वीकार है ।

(4) अनावेदकगण के पूर्वज नरेन्द्र मालवीय द्वारा वर्ष 2010 तक अपने जीवनकाल में नामान्तरण आदेश दिनांक 30–6–1997 को चुनौती नहीं दिया गया है, इस कारण वह आवेदकगण पर बन्धनकारक है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के सुनवाई के समय आवेदकगण द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे अनदेखा कर अवधि विधान की धारा 5 को आवेदन पत्र स्वीकार करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण अनेक वर्षो से काबिज है और आवेदकगण द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क होने के पश्चात् अवधि विधान की धारा 5 पर सुनवाई हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो उचित कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समस्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार विलम्ब क्षमा किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है, क्योंकि नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित आदेश है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण आदेश पारित करने में अनावेदकगण को सुनवई एवं पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया गया है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109 व 110 के बने नामान्तरण नियम 27 का आज्ञापक पालन नहीं किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आधारों व तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख से स्पष्ट है कि उनके समक्ष अपील 17 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का जो कारण बताया गया है वह नरेन्द्रसिंह जो गुलाबचन्द्र का पुत्र है, का अपहरण होने, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने तथा प्रकरण सत्र न्यायालय भोपाल में लंबित होने का उल्लेख अनावेदकगण की ओर से किया गया है एवं प्रमाण स्वरूप दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिन पर विचार कर ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने में

हुये विलम्ब को माफ किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर